

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.1(32)नविवि/II/84 पार्ट

जयपुर, दिनांक 03/07/2020

—:आदेश:—

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 4(1)(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निर्देशानुसार अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण का कार्य जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से.

  
(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

प्रा.

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव/अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / अजमेर/जोधपुर।
9. जिला कलक्टर, अजमेर।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त)
11. अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (जिला कलक्टर, अजमेर)
12. अध्यक्ष, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।



शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय